



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 332 राँची, बुधवार, 24 आषाढ़, 1942 (श०)
15 जुलाई, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

04 अक्टूबर, 2019

विषय:- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केन्द्रीय सेक्टर योजना- “115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से आपदा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढीकरण” के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-06/गृ.का.आ.प्र.(योजना)-01/2019(खण्ड)-821/आ.प्र.,-- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उपधारा-1 एवं धारा- 25 के अंतर्गत सभी राज्यों में राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया जाना है। तदनुसार अधिसूचना संख्या-425, दिनांक-28.05.2010 द्वारा झारखण्ड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं अधिसूचना संख्या-824, दिनांक-22.09.2010 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है।

2. नीति आयोग द्वारा देश के 115 (एक सौ पन्द्रह) चिन्हित पिछड़े जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढीकरण की योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। विषयांकित योजना 100% केन्द्र सरकार द्वारा वित्त संपोषित है, जिसके अंतर्गत चिन्हित

जिलों में Sendai Framework के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों का क्रियान्वयन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सहायतार्थ एक-एक Disaster Management (DM) Professional/Consultant को रखे जाने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जायेगा, जिसके निमित्त उनके द्वारा एकरारनामा उपलब्ध कराया गया है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केन्द्रीय सेक्टर योजना. “115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से राज्य के चिह्नित आपदा प्रवण 19 जिलों (साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू, बोकारो, गढ़वा, दुमका, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, राँची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, गुमला और गिरिडीह) के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढीकरण” के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा (डवन) किया जाना है। एकरारनामा किये जाने के निमित्त दिनांक-14.08.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-16 में निम्नांकित स्वीकृति प्रदान की गई है:-

3.1

क्र.सं.	विषय	विवरण
1.	योजना का नाम	115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से आपदा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढीकरण।
2.	योजना की अवधि	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल-36 माह)।
3.	योजना क्रियान्वयन की शर्त	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच एकरारनामा (MoU) के उपरांत योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
4.	योजना क्रियान्वयन का कार्य क्षेत्र	नीति आयोग द्वारा राज्य के चिह्नित 19 पिछड़े जिलों - साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू, बोकारो, गढ़वा, दुमका, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, राँची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, गुमला और गिरिडीह के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का सुदृढीकरण।
5.	योजना का लक्ष्य (Objectives)	(i) Support the DDMA's in the identified backward districts in taking measures for Disaster Risk Reduction as per the provisions of the Disaster Management Act, 2005 and Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. (ii) To help in preparation/alignment of District Disaster Management Plan (DDMP) as per provisions of the Disaster Management Act Sendai Framework and State Disaster Management Plan. (iii) To facilitate mock drills, capacity building and training activities at district, Taluka and Panchayat level for effective preparedness and response measures. (iv) To help in co-ordination of District Administration with Taluka and Panchayat level for effective preparedness, response and mitigation measures. (v) Creating Awareness about Disaster Risk Management at District, Taluka and Panchayat level.

6.	प्राक्कलित राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल-36 माह के लिए) हेतु चिन्हित 19 जिलों में Disaster Management (DM) Professional/Consultant को रखे जाने हेतु वित्तीय सहायता का विवरण निम्नवत् है:- <table><tr><td>Cost per month per DM professional</td><td>Installment wise no. of months</td><td>1st Installment for 12 months</td><td>2nd Installment for 12 months</td><td>3rd Installment for 12 months</td><td>Total finance support for implementation of schemes for 36 months</td></tr><tr><td>0.7 lakh</td><td>12</td><td>159.6 lakh</td><td>159.6 lakh</td><td>159.6 lakh</td><td>478.8 lakh</td></tr><tr><td colspan="6">कुल-4,78,80,000/- (चार करोड़ अठहतर लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र।</td></tr></table>	Cost per month per DM professional	Installment wise no. of months	1 st Installment for 12 months	2 nd Installment for 12 months	3 rd Installment for 12 months	Total finance support for implementation of schemes for 36 months	0.7 lakh	12	159.6 lakh	159.6 lakh	159.6 lakh	478.8 lakh	कुल-4,78,80,000/- (चार करोड़ अठहतर लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र।					
Cost per month per DM professional	Installment wise no. of months	1 st Installment for 12 months	2 nd Installment for 12 months	3 rd Installment for 12 months	Total finance support for implementation of schemes for 36 months															
0.7 lakh	12	159.6 lakh	159.6 lakh	159.6 lakh	478.8 lakh															
कुल-4,78,80,000/- (चार करोड़ अठहतर लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र।																				
7.	परियोजना हेतु अनुश्रवण समिति	(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्तर पर योजना का अनुश्रवण हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। (ii) राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रभारी सचिव के द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।																		
8.	राशि का विमुक्ति	उक्त योजना में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय किस्त के रूप में प्रत्येक बारह माह के लिए राशि की विमुक्ति की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किस्त के 50% तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही द्वितीय किस्त विमुक्ति किया जायेगा। तृतीय किस्त की विमुक्ति प्रथम किस्त के 100% तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं द्वितीय किस्त के 50% तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही किया जायेगा।																		
9.	परियोजना की समाप्ति	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का सही तरीके से पूर्ण उपयोग न करने/होने पर ।																		
10.	मतभेद का निराकरण	किसी भी प्रकार की मतभेद की स्थिति में मतभेद का निराकरण दोनों पक्ष के आपसी वार्ता के द्वारा किया जायेगा, जिसमे सचिव/सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।																		

3.2 वित्त विभाग के संकल्प सं.-4569 दिनांक-05.07.2002 के आलोक में राज्य के 19 चिन्हित जिलों में Disaster Management Professionals/ Consultants को संविदा पर रखने की कार्यवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।
